न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:–10 / 2024 तारीख रजू:–15.07.2024

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2024 / 83

पीठासीन अधिकारी :–दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. सत्यवीर सिंह पुत्र सांवल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम झाड़ोदा, हाल निवासी शहर, सवाई माधोपुर (राजस्थान)
2. सत्यनारायण सिंह पुत्र सांवल सिंह जाति राजपूत निवासी झाड़ोदा, हाल निवासी जयपुर (राजस्थान)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर।

–अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

उपस्थित::–

वकील प्रार्थीगण :–श्री सुधीर कुमार जैन एडवोकेट

वकील :– तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा

निर्णय दिनांक:–23.04.2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

–: निर्णय :–

प्रार्थना पत्र का विवरण:–

1. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण मूल रूप से ग्राम झाड़ोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के निवासी हैं। प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम झाड़ोदा तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित है जिसकी जमाबन्दी खाता संख्या 235 है और खसरा नम्बर 861 रकबा 1.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 861 / 1272 रकबा 1.8000 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 866 / 1285 रकबा 0.2200 हैक्टेयर है, कुल खसरे 3 कुल रकबा 3.0300 हैक्टेयर है तथा समस्त भूमि की किस्म नहरी 2 है। इस भूमि पर प्रार्थी लगातार अनवरत रूप से काश्त कर लाभ प्राप्त करता चला आ रहा है। जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 की प्रमाणित प्रतिलिपि हमरा प्रार्थना पत्र पेश की है, जो एनेक्सर 1 है। ग्राम झाड़ोदा में ही प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि स्थित है इसका खाता संख्या 234 है और खसरा नम्बर 866 रकबा 1.4000 हैक्टेयर, 'खसरा नम्बर 867 रकबा 0. 3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 868 रकबा 1.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 885 रकबा 0.6400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 886 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.1400 हैक्टेयर, कुल खसरे 6, कुल रकबा 3.9800 हैक्टेयर है तथा समस्त भूमि की किस्म नहरी 2 है। इस भूमि पर भी प्रार्थीगण अपने हिस्से पर अनवरत रूप से काश्त कर [illegible] है तथा सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे है। जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 की प्रमाणित प्रतिलिपि हमरा प्रार्थना पत्र पेश है, जो एनेक्सर 2 है।खाता संख्या 234 में खातेदार के कालम में प्रार्थी संख्या 1 का शुद्ध नाम 'सत्यवीर सिंह' के स्थान पर गलती से 'सप्तविरव[illegible]' जमाबन्दी में दर्ज हो गया है। अन्य प्रविष्टियाँ बिल्कुल सही है अर्थात वल्दियत, जाति, हिस्सा तथा निवासी बिल्कुल सही है। प्रार्थी संख्या 1 का शुद्ध नाम सत्यवीर सिंह पुत्र सावल सिंह जाति राजपूत है। इसके समर्थन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की अंकतालिका सन् 1990 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.01 15:05:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

–:आदेश:–

प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम झाड़ोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2076–79 के खाता संख्या 234 में प्रार्थी संख्या 01 का नाम सप्तविरसिंह पुत्र सांवलसिंह के स्थान पर सत्यवीर सिंह पुत्र सांवलसिंह जाति राजपूत का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.01 15:05:31 IST
Reason: SelfAttested